भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 3568

(सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

एसएफआईओ के अंतर्गत जांचाधीन कंपनियाँ

3568. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटीः

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा धोखाधड़ी के लिए जाँचाधीन कंपनियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इन कंपनियों द्वारा की गई धोखाधड़ी का राज्य-वार विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में कुल कथित मूल्यांकन कितना है;

(ग) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान एसएफआईओ द्वारा कोई जाँच लंबित है और यदि हाँ, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान एसएफआईओ द्वारा जाँच किए गए मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है और यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य-वार दर्ज की गई कुल प्राथमिकी, पूरी की गई जाँच, शुरू किए गए अभियोजन और दोषसिद्धि के मामलों की संख्या कितनी है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान एसएफआईओ में मामलों (जांच के तहत मुख्य कंपनी) की संख्या इस प्रकार है-

क्र.सं.	विवरण	वि.व. 2020-21	वि.व. 2021-22	वि.व. 2022-23	वि.व. 2023-24	वि.व. 2024-25	कुल
1.	लंबित जांच की संख्या	94	95	83	70	61	403

धोखाधड़ी की मात्रा जांच के अंतिम परिणाम पर निर्भर करती है।

(ग): पिछले 5 वर्षों के दौरान लम्बित जाँचों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-क पर दिया गया है।

जारी/.....2

(घ): पिछले पांच वर्षों में एसएफआईओ को जांच के लिए सौंपे गए मामलों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	**विवरण**	**वि.व. 2020-21**	**वि.व. 2021-22**	**वि.व. 2022-23**	**वि.व. 2023-24**	**वि.व. 2024-25**	**कुल**
1.	सौंपे गए मामलों की संख्या	20	14	07	05	13	59

(ङ): एसएफआईओ, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212 के अंतर्गत मामलों की जाँच करता है, जिसमें सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर अभियोजन शिकायत निर्दिष्ट विशेष न्यायालयों में दायर की जाती है। जाँच पूरे किए गए मामलों का विवरण अनुलग्नक-ख में दिया गया है। पिछले पाँच वर्षों में प्राप्त दोषसिद्धि/कम्पाउंडिंग अनुलग्नक-ग में दिया गया है।

******

<u>दिनांक 11.08.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3568 के पैरा (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक</u>

<u>अनुलग्नक-क</u>

वित्तीय वर्ष (वि.व.) के अंत में पिछले 05 वर्षों के दौरान लंबित जांचों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है: -						
क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**	**वित्त वर्ष 2024-25**
1	चंडीगढ़	1	2	3	4	4
2	दिल्ली	21	23	22	16	13
3	गोवा		1	1		1
4	गुजरात	9	4	4	3	2
5	हरियाणा	1	1	1	1	1
6	कर्नाटक	1	2	1	1	2
7	केरल	1	1	1	2	1
8	मध्य प्रदेश	1	1	1	1	1
9	महाराष्ट्र	31	32	26	20	17
10	ओडिशा	3	3	4	4	3
11	राजस्थान			1	1	1
12	तमिलनाडु	7	6	3	3	4
13	तेलंगाना	4	3	3	3	1
14	उत्तर प्रदेश	2	3	3	4	5
15	पश्चिम बंगाल	12	13	10	7	5
	कुल	94	95	83	70	61

<u>दिनांक 11.08.2025 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3568 के पैरा (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक</u>

<u>अनुलग्नक-ख</u>

क्र.सं.	**विवरण**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**	**वित्त वर्ष 2024-25**	**कुल**
1	पूरे हुए मामले	07	13	19	18	22	79

<u>दिनांक 11.08.2025 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3568 के पैरा (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक</u>

<u>अनुलग्नक-ग</u>

दोषसिद्धि/कंपाउंडिंग का वर्षवार विवरण (2020-21 से 2024-25)								
क्र. सं.	**वित्तीय वर्ष**	**मुंबई (महाराष्ट्र)**	**एसीजेएम, इंदौर (म.प्र.)**	**हैदराबाद (तेलंगाना)**	**सीजेएम, सोलन (एचपी)**	**दिल्ली**	**चेन्नई (टीएन)**	**दोषसिद्धि/कंपाउंडिंग की कुल संख्या**
1	2020-21	--	--	--	--	--	--	--
2	2021-22	07	--	--	--	--	--	07
3	2022-23	--	--	06	--	02	--	08
4	2023-24	--	--	--	07	01	01	09
5	2024-25	--	05	--	--	--	01	06
	कुल	07	05	06	07	03	02	30